# न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 7/2016

| प्रार्थी– | बनाम | अप्रार्थी– |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर | | सईदाद पुत्र ओसमान कौम मुसलमान सा0 बने की बस्ती, तहसील रामसर, बाड़मेर |

**राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन ग्राम बने की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 08–11 बीघा आवंटन निरस्त करने।**

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 8/2016

| प्रार्थी– | बनाम | अप्रार्थी– |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर | | सोभदार पुत्र ओसमान कौम मुसलमान सा0 बने की बस्ती, तहसील रामसर, बाड़मेर |

**राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन ग्राम बने की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 08–11 बीघा आवंटन निरस्त करने।**

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 9/2016

| प्रार्थी– | बनाम | अप्रार्थी– |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर | | दलु पुत्र ओसमान कौम मुसलमान सा0 बने की बस्ती, तहसील रामसर, बाड़मेर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested

**राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन ग्राम बने की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 08–11 बीघा आवंटन निरस्त करने।**

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गौरव खत्री, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

दिनांक : 02.08..2021

1. उपरोक्त तीनों ही प्रकरणों में समान पक्षकार एवं विषय–वस्तु निहित होने से एक ही संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारित किये जा रहे हैं। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के दौरान ग्राम पंचायत भीण्डे का पार में आयोजित भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 06.04.2013 में लिये गये निर्णय के द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम बने की बस्ती तहसील रामसर के खसरा नंबर 15 में प्रत्येक अप्रार्थीगण को 8–11 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन की गई। उक्त आवंटन की शर्त संख्या 4(च) में उल्लेखित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अतिक्रमी को नियमित किया गया भू–भाग 2 किमी परिक्षेत्र से कम दूरी होने की स्थिति में स्वतः ही राज्य सरकार मे निहित हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक भीण्डे का पार एवं पटवारी हलका सज्जन का पार से जांच करवाने पर उक्त नियमित की गई भूमि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किमी परिधि के भीतर होना पाई गई है जो आवंटन योग्य नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी ने उक्त तीनों प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त तीनों आवंटन नियमों के विपरीत होना मानते हुए राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त करने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरणों में वास्तविक स्थिति की तथ्यात्मक स्थिति अभिलेख पर लेने हेतु आपेक्षित [illegible] की मौका रिपोर्ट मोतबिरान के रूबरू तहसीलदार रामसर से ली गई। प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम पंचायत भीण्डे का पार में आयोजित भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

06.04.2013 में लिये गये निर्णय के द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम बने की बस्ती तहसील रामसर के खसरा नंबर 15 में प्रत्येक अप्रार्थीगण को 8–11 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन की गई। उक्त आवंटन की शर्त संख्या 4(च) में उल्लेखित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अतिक्रमी को नियमित किया गया भू–भाग 2 किमी परिक्षेत्र से कम दूरी होने की स्थिति में स्वतः ही राज्य सरकार मे निहित हो जायेगा। अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि भारत–पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 2 किमी परिधि क्षेत्र मे आती है। वक्त आवंटन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य को छिपाते हुए मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया गया है। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाकर आवंटित भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

5. हमने प्रार्थी के योग्य राजकीय अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भीण्डे का पार में आयोजित भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 06.04.2013 में लिये गये निर्णय के द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम बने की बस्ती तहसील रामसर के खसरा नंबर 15 में प्रत्येक अप्रार्थीगण को 8–11 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन की गई। उक्त आवंटन की शर्त संख्या 4(च) में उल्लेखित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अतिक्रमी को नियमित किया गया भू–भाग 2 किमी परिक्षेत्र से कम दूरी होने की स्थिति में स्वतः ही राज्य सरकार मे निहित हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक भीण्डे का पार एवं पटवारी हलका सज्जन का पार से जांच करवाने पर उक्त नियमित की गई भूमि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किमी परिधि के भीतर होना पाई गई है जो आवंटन योग्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की भौतिक अवस्थिति की जांच हेतु तहसीलदार रामसर से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रामसर ने मौका फर्द दिनांक 23.02.2021 भिजवाते हुए उल्लेख किया है कि आवंटित खसरा नंबर 15 भारत–पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किमी के दायरे में आता है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि आवंटित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 2 किमी दायरे में आती है जो राज्य सरकार के स्वामित्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से नियमन योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष इस तथ्य को प्रकट किये बिना मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया गया है जो आवंटन आदेश की शर्त संख्या 4(च) के तहत निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनों प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर अप्रार्थीगण सईदाद, सोभदार, दलु पि0 ओसमान कौम मुसलमान सा0 बने की बस्ती तहसील रामसर जिला बाड़मेर को मौजा बने की बस्ती के खसरा संख्या 15 में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 08.04.2013 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रत्येक को 8–11 बीघा के आवंटन निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर राजस्व अभिलेख में बिला कब्जा दर्ज की जावें तथा पालना से अवगत करावें।

7. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

( ओम प्रकाश बिश्नोई )
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested